



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062020-220084
CG-DL-E-22062020-220084

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1775]
No. 1775]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2020/आषाढ 1, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2020/ASADHA 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2020

का.आ. 1995(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2336 (अ) तारीख 03.07.2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के कि.मी. 567.000 कि.मी.से 522.420 कि.मी (मालेगांव से डेरलाखंड), तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "03.08.2019" को "दैनिक सकाळ" और "इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2)के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यां.361 के कि.मी.567.000 से कि.मी.522.420 म.रा.म 2 तक (मालेगांव से डेरला खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: लोहा				
	गांव का नाम: लांडगेवाडी				
1	27	निजी	कृषि	0.0168	शिवानंद भुजंगराव बल्लोरे (27/बी)
2	28	निजी	कृषि	0.1139	सचिदानंद भुजंगराव बल्लोरे (28)
3	29	निजी	कृषि	0.047	रमेश बालाजी राठोड (29/1)
4	29	निजी	कृषि	0.025	रमेश बालाजी राठोड (29/2)
5	29	निजी	कृषि	0.025	देविदास सखाराम राठोड (29/2)
6	29	निजी	कृषि	0.025	गुलाब सखाराम राठोड (29/2)
7	29	निजी	कृषि	0.025	दिगांबर सखाराम राठोड (29/2)
8	29	निजी	कृषि	0.2	बापुराव एकनाथ वसमतकर(मयत) वारस सुर्यकांत बापुराव वसमतकर विश्वनाथ बापुराव वसमतकर विठल बापुराव वसमतकर विजय बापुराव वसमतकर अनुसया बापुराव वसमतकर सरसवती गणपत

					(29/2)
9	29	निजी	कृषि	0.1244	उमाकांत गोविंदराव लांडगे (29/3)
10	30	निजी	कृषि	0.0177	रस्ता (30/8)
11	30	निजी	कृषि	0.09	गणेश गुलाब किरण अरुण चव्हाण सुरेश गुलाब चव्हाण (30/8)
12	30	निजी	कृषि	0.0585	भामु सखाराम चव्हाण (30/7)
13	30	निजी	कृषि	0.08	पिंपळाबाई भामु चव्हाण (30/7)
14	30	निजी	कृषि	0.0329	राम पांडुरंग चव्हाण (30/7)
15	30	निजी	कृषि	0.0311	सिताराम रेखाजी चव्हाण (30/7)
16	30	निजी	कृषि	0.0245	डॉ. विश्वनाथ गोविंद राठोड (30/7)
17	30	निजी	कृषि	0.0327	गणपत उत्तमराव चव्हाण (30/7)
18	30	निजी	कृषि	0.0145	अजय बापुराव चव्हाण (30/7)
19	30	निजी	कृषि	0.0194	बापुराव काशिराम चव्हाण (30/5)
20	30	निजी	कृषि	0.0143	जिजाबाई बापुराव चव्हाण (30/5)
21	30	निजी	कृषि	0.0097	विजय बापुराव चव्हाण (30/5)
22	30	निजी	कृषि	0.0123	अजय बापुराव चव्हाण (30/5)
23	30	निजी	कृषि	0.0509	विमलबाई विजु राठोड (30/4)
24	30	निजी	कृषि	0.0521	इंद्रजित दिगांबर राठोड (30/3)
25	30	निजी	कृषि	0.1441	इंद्रजित दिगांबर राठोड

					(30/2)
26	31	निजी	कृषि	0.041	राधाबाई किशनराव मस्के (31 एच सरकारी गायरान)
27	31	निजी	कृषि	0.0533	प्रकाश किशनराव मस्के (31 एच सरकारी गायरान)
28	31	निजी	कृषि	0.0519	बुधघोष किशनराव मस्के (31 एच सरकारी गायरान)
29	31	निजी	कृषि	0.0655	रमाकांत किशनराव मस्के (31 एच सरकारी गायरान)
30	31	निजी	कृषि	0.0768	रामा बानाजी ढवले (31 डि सरकारी गायरान)
31	31	निजी	कृषि	0.0717	विठल लक्ष्मण मस्के जिजाबाई विठल मस्के (31 डि सरकारी गायरान)
32	31	निजी	कृषि	0.044	गोरखनाथ माणिका मस्के (31 डि सरकारी गायरान)
33	31	निजी	कृषि	0.0364	नामदेव माणिका मस्के (31 डि सरकारी गायरान)
34	31	निजी	कृषि	0.0576	बंडु रघुनाथ मस्के (31 डि सरकारी गायरान)
35	31	निजी	कृषि	0.0627	कृष्णा शंकर मस्के मोहन विश्वनाथ मस्के (31 ए सरकारी गायरान)
			कुल	1.8477	

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2020

S.O. 1995(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O.23.07.2019 (E), dated 03.08.2019**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from **Km. 567.000 to Km. 522.420** on MSH2 (Malegaon to Derla Section) in Nanded District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "**Dainik Sakal**" and "**Indian Express**" both dated **03.08.2019**, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land form Km 567.000 to Km 522.420 on MSH2 (Malegaon to Derla section) of the National Highway – 361 in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: NANDED					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Loha				
	Viilage: Landgewadi				
1	27	Private	Agriculture	0.0168	Shivanand Bhujangrao Ballore 27 B
2	28	Private	Agriculture	0.1139	Sachindanand Bhujangrao Ballore 28
3	29	Private	Agriculture	0.047	Ramesh Balaji Rathod 29/1
4	29	Private	Agriculture	0.025	Ramesh Balaji Rathod 29/2
5	29	Private	Agriculture	0.025	Devidas Sakharam Rathod 29/2
6	29	Private	Agriculture	0.025	Gulab Sakharam Rathod 29/2
7	29	Private	Agriculture	0.025	Digamber Sakharam Rathod 29/2
8	29	Private	Agriculture	0.2	Bapurao Eknath Wasmatar (Died) Suryakant Bapurao Wasmatar Vishwanath Bapurao Wasmatar Vithal Bapurao Wasmatar Vijay Bapurao Wasmatar Anusaya Bapurao Wasmatar Saraswati Ganpat 29/2
9	29	Private	Agriculture	0.1244	Umakath Govindrao Landge 29/3
10	30	Private	Agriculture	0.0177	Road 30/8
11	30	Private	Agriculture	0.09	Ganesh Gulab Kiran Aruna Chavhan Suresh Gulab Chavhan 30/8
12	30	Private	Agriculture	0.0585	Bhamu Sakahram Chavhan 30/7
13	30	Private	Agriculture	0.08	Pimpalabai Bhamu Chavhan 30/7
14	30	Private	Agriculture	0.0329	Ram Pandurang Chavhan 30/7

15	30	Private	Agriculture	0.0311	Sitram Rekhaji Chavhan 30/7
16	30	Private	Agriculture	0.0245	Dr. Vishwanath Govind Rathod 30/7
17	30	Private	Agriculture	0.0327	Ganpat Uttamrao Chavhan 30/7
18	30	Private	Agriculture	0.0145	Ajay Bapurao Chavhan 30/7
19	30	Private	Agriculture	0.0194	Bapurao Kashiram Chavhan 30/5
20	30	Private	Agriculture	0.0143	Jijabai Bapurao Chavhan 30/5
21	30	Private	Agriculture	0.0097	Vijay Bapurao Chavhan 30/5
22	30	Private	Agriculture	0.0123	Ajay Bapurao Chavhan 30/5
23	30	Private	Agriculture	0.0509	Vimalbai Viju Rathod 30/4
24	30	Private	Agriculture	0.0521	Indrajit Digamber Rathod 30/3
25	30	Private	Agriculture	0.1441	Indrajit Digamber Rathod 30/2
26	31	Private	Agriculture	0.041	Radhabai Kishanrao Maske 31H Govt Gairan
27	31	Private	Agriculture	0.0533	Prakash Kishanrao Maske 31H Govt Gairan
28	31	Private	Agriculture	0.0519	Budhghosh Kishanrao Maske 31H Govt Gairan
29	31	Private	Agriculture	0.0655	Ramakant Kishanrao Maske 31H Govt Gairan
30	31	Private	Agriculture	0.0768	Rama Banaji Dhavle 31 D Govt Gairan
31	31	Private	Agriculture	0.0717	Vithal Laxman Maske Jijabai Vithal Maske 31 D Govt Gairan
32	31	Private	Agriculture	0.044	Gorakhnath Manika Maske 31 D Govt Gairan
33	31	Private	Agriculture	0.0364	Namdev Manika Maske 31 D Govt Gairan
34	31	Private	Agriculture	0.0576	Bandu Raghunath Maske 31 D Govt Gairan
35	31	Private	Agriculture	0.0627	Kurshna Shankar Maske Mohan Vishvanath Maske 31 A Govt Gairan
			TOTAL	1.8477	

[F. No. NHA/LA/NH-361/2015/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.